प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,

संयुक्त सचिव,

उ0प्र0 शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 17 जनवरी, 2022**

विषय: अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय हेतु प्रावधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में ।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय पत्र संख्या-812/बा0वि0परि0/लेखा/2021-22, दिनांक 03 जनवरी, 2022 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के अधीन वित्तीय वर्ष 2021-2022 में आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय योजना में प्रावधानित धनराशि रू0 27630.00 लाख तथा अनुपूरक मांग के रूप में रू0 26570.46 लाख को सम्मिलित करते हुए कुल रू0 54200.46 लाख के प्रावधान के सापेक्ष शासनादेश संख्या-27/2021/1286/58-1-21-2/3(9)/12, दिनांक 23.04.2021 द्वारा प्रथम छमाही हेतु रू0 13815.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-42/2021/2747/58-1-21-2/3(9)/12, दिनांक 01.10.2021 द्वारा रू0 13815.00 लाख कुल रू0 27630.00 लाख (रू0 दो अरब छियहत्तर लाख तीस हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृतियां निर्गत की गयी हैं ।

2- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-49 के अधीन आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय योजना में प्रावधानित धनराशि रू0 54200.46 लाख के सापेक्ष रू0 26570.46 लाख (रूपया दो अरब पैंसठ करोड़ सत्तर लाख छियालिस हजार मात्र) की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि कोषागार से आवश्यकतानुसार आहरित की जायेगी । आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक में नहीं रखा जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा । यदि कोई वित्तीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उत्तरदायी होंगे ।

(4) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-14-समन्वित बाल विकास परियोजना-1401-आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय के मानक मद 07-मानदेय" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च, 2021 में निर्धारित व्यवस्था के अनुसार प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

संख्या-04/2022/29(1)/58-1-2022, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. सचिव, भारत सरकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
6. वित्त संसाधन (वित्त आयोग एवं केन्द्रीय सहायता) अनुभाग।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, लखनऊ।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in